न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—90/2019/223 (2019/00090)

1. रसाल पत्नि किशनलाल, जाति जाट, निवासी मेवदाकंला, तहसील केकड़ी जिला अजमेर ।
2. रोडी पुत्री किशनलाल, जाति जाट, निवासी मेवदाकंला, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. रामकन्या पुत्री नानूलाल, जाति जाट, निवासी मेवदाकंला, तहसील केकड़ी जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री विद्वान उपखण्ड, केकड़ी दिनांक 20.5.2017 अंतर्गत वाद संख्या 188/2014.

उपस्थितः—

1. श्री शिप्रकाश चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री हंगामीलाल चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 2 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 31.3.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 20.5.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/रेस्पो0 संख्य 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण/अपीलांटस के पेश कर निवेदन किया कि जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 के खाता संख्या 105 में दर्ज खसरा नंबर 636 रकबा 0.18 है0 व खसरा नंबर 2243 रकबा 0.44 है0 भूमि वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 की सह खातेदारी में दर्ज है जिसमें वादिया का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का संयुक्त 3/4 हिस्सा दर्ज है तथा वादिया एवं प्रतिवादीगण अपने—अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है । प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की नियत बद होने से वादिया को उसके हिस्से 1/4 से जबरन बेदखल करने पर आमादा है तथा वादिया के हिस्से की आराजियात को खुर्द बुर्द एवं अंतरण करने की धमकियां देते है । इस कारण वादिया को वाद पेश करना पड़ा है । अतः वादिया का वाद स्वीकार किया जाकर उनके हिस्से अनुसार बंटवारा किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने दिनांक 11.6.2015 को वाद स्वीकार कर वाद में प्राथमिक डिक्री पारित की तत्पश्चात् दिनांक 20.5.2017 को वाद में अंतिम डिक्री

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व अंतिम डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपने में निहित क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर बिना अपीलांटस को अंतिम डिक्री के नोटिस तामील कराये एकतरफा में अपीलांटस को बिना साक्ष्य, सबूत का अवसर प्रदान किये बिना अंतिम डिक्री पारित की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अधी0न्याया0 ने गलत तौर पर दिनांक 25.5.2017 को बंटवारा प्रस्ताव के बाबत् अपीलांटस को कोर्ठ नोटिस जारी नहीं किया एव ना ही बंटवारा प्रस्ताव बाबत् को आपत्ति आमंत्रित की गई। जबकि राज0काश्त0अधि0 1955 के बंटवारे के नियमों के तहत सभी सह खातेदारों को नोटिस जारी किया जाकर आपत्तियां आमंत्रित किए जाने के निर्देश प्रदान करते हुए अंतिम डिक्री पारित करनी चाहिये । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू पर ध्यान नहीं दिया कि बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते समय मौके पर स्वंय लैण्ड होल्डर को उपस्थित होना अनिवार्य है । इसके बावजूद भी सरसरी तौर पर बिना तहसीलदार के मौके पर गये हल्का पटवारी द्वारा ही बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया जाकर अधी0न्याया0 को प्रस्तुत किया गया था जो नियमों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 द्वारा नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । बंटवारे के नियमों के तहत जहां तक संभव हो सके जमीन के टुकड़े नहीं किये जावेगें इसके बावजूद भी अधी0न्याया0 ने उपरोक्त प्रकरण में भूमि के अनेक टुकड़े करते हुए अंतिम डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 ने अपने द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.6.2015 की अनुपालना के लिए दिनांक 19.9.2017 को पालना रिपोर्ट के लिए पत्र जारी किया जा रहा है वही दूसरी तरफ उन्हीं की ओर से फर्द अहकाम पर दिनांक 20.5.2017 को ही बंटवारा प्रस्ताव संलग्न कर निर्णय पारित किया गया है जो अनियमितता का द्योतक है । राज0काश्त0अधि0 के बंटवारा नियमों के तहत लगान का बंटवारा किया जाना भी आवश्यक है इसके बावजूद भी अधी0न्याया0 ने उपरोक्त कानूनी बिन्दु के विरूद्ध जाकर बिना लगान का बंटवारा किये अंतिम डिक्री पारित की है जो विधिविरूद्ध होकर निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व अंतिम डिक्री निरस्त की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पत्रावली में दिनांक 24.3.2015 को प्रार्थीगण की ओर से वकील साहब ने वकालतनामा पेश किया तत्पश्चात् पत्रावली प्रार्थीगण के जवाब हेतु नियत की गई व दिनांक 8.5.2015 से दिनांक 11.6.2015 को कैम्प कोर्ट मेवदाकंला में प्रकरण को नियत करने बाबत् न तो प्रार्थीगण को कोई नोटिस जारी किया गया एव ना ही प्रार्थीगण के वकील को नोटेड कराया गया एवं एकतरफा में पत्रावली में बिना प्रार्थीगण को अंतिम डिक्री के नोटिस जारी किये पत्रावली बंटवारा प्रस्ताव हेतु नियत करने के आदेश प्रदान कर दिये एवं दिनांक 20.5.2017 को अंतिम डिक्री पारित कर दी गई । जिसकी प्रार्थीगण को कोई जानकारी नहीं हो सकी थी । दिनांक 21.2.2019 को प्रार्थिया अपने खातों की नकल निकलवाने हेतु पटवारी हल्का के पास गई तब पटवारी हल्का ने बताया कि आपके प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव के बाबत् कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है तब प्रार्थिया ने अपने अधिवक्ता से जानकारी की तब प्रार्थिया के अधिवक्ता ने उपखण्ड अधिकारी कार्यालय के रीडर से पता किया जिस पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई ।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तत्पश्चात् अपीलांटस ने निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन पेश किया, प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाकिव है। अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । तहसीलदार ने मौके पर पक्षकारान के मध्य अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी जमीन को ध्यान में रखते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर अधी0न्याया0 को भिजवाये है । अधी0न्याया0 ने तहसीलदार से विवादित भूमि के संबधं में बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विधिनुसार बंटवारा की अंतिम डिक्री पारित की है । अंतिम डिक्री में क्या त्रुटि है अपीलांट ने साबित नहीं किया है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को प्रकरण के गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 द्वारा वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद दिनांक 11.6.2015 को स्वीकार कर वाद में प्राथमिक डिक्री पारित की तत्पश्चात् तहसीलदार से कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत दिनांक 20.5.2017 को वाद में अंतिम डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.6.2015 के विरूद्ध अपीलांटस द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील संख्या 89/2019/223 बउनवान रसाल बनाम रामकन्या व अन्य पेश की गई है जो न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 31.3.2021 द्वारा अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधी0न्याया0 का निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.6.2015 को निरस्त कर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया गया है । चुंकि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनाक 11.6.2015 निरस्त होने से अधी0न्याया0 द्वारा प्राथमिक डिक्री के अनुसरण में पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 20.5.2017 भी स्वतः ही सारहीन हो जाती है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 20.5.2017 निरस्त योग्य पायी जाती है ।

9. अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 20.5.2017 निरस्त की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 31.3.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर